

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ 4408

दिनांक: 13/11/17


अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 (1) (क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर परिषद, बून्दी की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए नगर परिषद, बून्दी में निम्न व्यक्तियों को एतद्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है:-

1. ओम प्रकाश सुमन पुत्र श्री मूल चन्द सुमन
2. नीरज पाण्डे पुत्र श्री लक्ष्मण पाण्डे
3. पवन भार्गव उर्फ केशव भार्गव पुत्र श्री रामबाबू भार्गव
4. मोहन कराड पुत्र श्री रामचन्द कराड


पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ 4409-4421
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक: 13/11/17

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, टोंक, नागौर, सीकर, जयपुर, पाली, सवाईमाधोपुर।
06. संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में नियमानुसार शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
07. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति भिजवाने का श्रम करें।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज0 जयपुर।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा।
10. सम्बंधित आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, टोक, डेगाना, खण्डेला, रींगस, कोटपूतली, सुमेरपुर, तखतगढ़, नीमकाथाना, जैतारण, फुलेरा, किशनगढ़ रेनवाल, सांभर, गंगापुरसिटी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलवाने की कार्यवाही करें।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी